सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
नव सीमा शुल्क भवन,पणंबूर,मंगलूर–५७५०१०
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
NEW CUSTOMS HOUSE, PANAMBUR, MANGALURU – 575 010
Telephone No. 0824-2408164, **website-**www.customsmangalore.gov.in, **Email-** commr-cusmnglr@nic.in

Comp. No.: 281335	Date: 20-07-2026

Public Notice No. 22/2026
सार्वजनिक सूचना संख्या 22/2026

Subject: Pan India Rollout of Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations (SCMTR), 2018 – Reg.
विषय: सम्पूर्ण भारत में सी कार्गो मैनिफेस्ट एवं ट्रांसशिपमेंट विनियम (SCMTR), 2018 के कार्यान्वियन के संबंध में।

नए मंगलूर बंदरगाह और कारवार बंदरगाह पर कार्यरत सभी शिपिंग लाइनों , शिपिंग एजेंटों, संरक्षकों, टर्मिनल ऑपरेटरों, स्टीमर एजेंटों, कस्टम्स ब्रोकरों और अन्य हितधारकों का ध्यान बोर्ड की सूचना संख्या 31/2026-कस्टम्स (एन.टी.) दिनांक 30.03.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सी कार्गो मैनिफेस्ट एवं ट्रांसशिपमेंट विनियम (SCMTR), 2018 के सम्पूर्ण भारत में कार्यान्वियन की नियत तिथि 30.06.2026 निर्धारित की गई है। तदनुसार, सभी संरक्षकों, ट्रांसशिपरों और टर्मिनलों के लिए कस्टम्स इनलैंड मैनिफेस्ट (CIM-Export) मॉड्यूल का सम्पूर्ण भारत में कार्यान्वियन SCMTR, 2018 के कार्यान्वियन के अनुरूप 30.06.2026 से प्रभावी होगा।

Attention of all shipping lines, shipping agents, Custodians, Terminal Operators, Steamer Agents, Customs Brokers, and other stakeholders operating at New Mangalore Port and Karwar Port is invited to the Board's Notification No. 31/2026-Customs (N.T.) dated 30.03.2026, wherein the due date for complete rollout of the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations (SCMTR), 2018 has been prescribed as 30.06.2026. Accordingly, the Pan-India implementation of the Customs Inland Manifest (CIM-Export) module for all Custodians, Transhippers and Terminals shall proceed in alignment with the complete rollout of SCMTR,2018, with effect from 30.06.2026.

2 . SCMTR प्रणाली की शुरुआत समुद्री व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, माल की बेहतर दृश्यता एवं निगरानी बढ़ाने और उन्नत जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। डिजिटल प्रणाली का पूर्ण कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि सभी संबंधित व्यापार हितधारक इस उन्नत प्रणाली को पूर्णतः अपनाएं। जबकि गेटवे पोर्ट और विदेशी आयात के बीच संदेश, अर्थात् पूर्व के IGM/EGM, पहले ही सफलतापूर्वक SAM/SDM में अपडेट कर दिए गए हैं, आईसीडी/सीएफएस/एसईजेड आदि और गेटवे पोर्ट के बीच माल की आंतरिक हलचल से संबंधित संदेश की स्थिति निम्नलिखित है:

1. SF — स्टफिंग संदेश
2. ASR — शिपमेंट अनुरोध के लिए अनुमति
3. SFCN — स्टफिंग रद्दीकरण
4. DP — प्रस्थान रिपोर्ट
5. DT — प्रस्थान समय
6. AR — आगमन रिपोर्ट
7. AT — आगमन समय

The SCMTR system was introduced to streamline maritime trade processes, enhance cargo visibility, and ensure advanced risk management. To achieve full digital optimisation, it is imperative that all relevant trade stakeholders transition entirely to this advanced platform. While the messages between gateway ports and foreign imports, i.e. erstwhile IGM/EGM, have already been successfully updated to SAM/SDM, the status of messages pertaining to the movement related to inland movement of cargo i.e. between ICD/CFS/SEZ etc. and gateway port is as follows:

1. SF — Stuffing Message
2. ASR — Allowed for Shipment Request

3. SFCN — Stuffing Cancellation
4. DP — Departure Report
5. DT — Departure Time
6. AR — Arrival Report
7. AT — Arrival Time

3. इनमें से, क्रम संख्या 1 से 3 (यानी SF, ASR और SFCN) के संदेश पहले ही सम्पूर्ण भारत में कार्यान्वित किए जा चुके हैं और सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। शेष संदेशों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है तथा उन्हें 30.06.2026 से API मोड में सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। हितधारकों को SCMTR प्रक्रियाओं से परिचित होने की आवश्यकता है , जिसमें परामर्श, संदेश कार्यान्वयन मार्गदर्शिका और ICEGATE वेबसाइट (https://www.icegate.gov.in/advisories/scmtr) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं।

Out of these, messages in S. No. 1 to 3 (i.e. SF, ASR & SFCN) have already been implemented pan India and functioning smoothly. The remaining messages have been tested successfully and implemented pan-India in API mode, with effect from 30-06-2026. Stakeholders need to familiarize themselves with SCMTR processes including advisories, message implementation guides and FAQs readily available on the ICEGATE website (https://www.icegate.gov.in/advisories/scmtr).

4. हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि वे SCMTR के अंतर्गत पंजीकरण करने और निर्धारित अंतर्देशीय संदेश प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया में देरी हो सकती है , जिसके लिए संबंधित व्यापारिक इकाई स्वयं उत्तरदायी होगी। संबंधित हितधारकों, अर्थात् संरक्षक, ट्रांसशिपर, टर्मिनल ऑपरेटर आदि को सीमा शुल्क कार्यालय के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकरण एवं संदेश दाखिल करने की प्रक्रियाएँ सही रूप से लागू हों। यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित साइटों पर ASR संदेश सक्षम हो। SF संदेश को ASR एवं SFCN संदेशों के साथ 25.11.2025 से सम्पूर्ण भारत में सक्षम किया जा चुका है। यह उल्लेखनीय है कि एक बार SF एवं ASR संदेशों के परिचालन में आने के बाद ही SCMTR के निर्यात चरण के अंतर्गत परवर्ती संदेश अर्थात् DP/DT/AR/AT संचालित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि ASR संदेश सक्रिय किए जाने पर SF एवं ASR संदेशों का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हो जाएगा।

मंगलुरु कस्टम आयुक्तालय के अधिकृत संरक्षक , ट्रांसशिपर और टर्मिनल ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने-अपने संदेश समूह को निर्बाध रूप से प्रस्तुत करने के लिए पूर्णतः तैयार हों। इसके अलावा, सभी हितधारक ACU एवं ATP इकाइयों के रूप में अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें , जो एसएफ और एएसआर संदेश प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण से संबंधित किसी भी समस्या को तत्काल समाधान हेतु आईसीईगेट हेल्पडेस्क के समक्ष उठाया जा सकता है।

Stakeholders are informed that failure to register under SCMTR and file the prescribed inland messages may result in processing delays, for which the concerned trade entity will be held responsible. The concerned stakeholders, i.e., custodians, trans-shippers, terminal operators, etc., shall coordinate with the Customs Office to ensure that the registration and filing procedures are duly in place. It should be ensured that the ASR message is enabled at the concerned sites. The SF has been enabled w.e.f. 25-11-2025, along with ASR & SFCN message, pan-India. It may be noted that once SF and ASR messages are operational, only then the subsequent set of messages under the SCMTR export leg, i.e., DP/DT/AR/AT can function. Further, it is pertinent to note that enabling ASR message would make SF and ASR mandatory.

The Authorised Custodians, Transhippers and Terminal Operators of the Mangaluru Customs Commissionerate shall ensure their readiness to file their respective sets of messages without disruption. Also, the stakeholders shall ensure registration as ACU and ATP entities that will file SF and ASR messages. Any registration-related issues may be immediately escalated to the ICEGATE Helpdesk for resolution.

5. अधीक्षक (आई. जी. एम/ई. जी. एम) को मंगलुरु कस्टम्स आयुक्तालय के संबंध में SCMTR संचालन से संबंधित पत्राचार हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

Superintendent (IGM /EGM) has been nominated as the Nodal Officer in respect of Mangaluru Customs Commissionerate for communication regarding SCMTR Operations.

6. यदि इन निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाइयाँ सामने आती हैं , तो उन्हें ऊपर वर्णित नोडल अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।

Difficulties faced, if any, in the implementation of these directives may be brought to the notice of the Nodal Officer as detailed above.

Digitally signed by
Abilash K Sreenivasan
Date: 20-07-2026
18:32:52

अभिलाष के श्रीनिवासन / ABILASH K SREENIVASAN

आयुक्त / COMMISSIONER

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (CCO), बेंगलुरु ज़ोन, बेंगलुरु, सूचनार्थ।
2. तकनीकी अनुभाग/EDI अनुभाग, मंगलुरु सीमा शुल्क, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. सीमा शुल्क ब्रोकर एसोसिएशन, मंगलुरु।
4. स्टीमर एजेंट एसोसिएशन, मंगलुरु।
5. सूचना पट्ट, NCH, मंगलुरु।

Copy to:

1. Assistant Commissioner of Customs (CCO), Bengaluru Zone, Bengaluru, for information.
2. Technical section/EDI Section, Mangaluru Customs, for uploading on the website.
3. The Customs Brokers Association, Mangaluru.
4. The Steamer Agents Association, Mangaluru.
5. Notice Board, NCH, Mangaluru.